बिहार विधान परिषद दैनिक विवरणिका

संख्या- 3 सत्र- 185वां

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख
मंगलवार, दिनांक 28.2.2017 ई.

माननीय उप सभापति श्री मो. हारूण रशीद की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही आरंभ हुई।

12.00 मध्याह्न से 5.40 अपराह्न तक

1. **कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट किया जाना एवं आसन का नियमन**

सदन की बैठक आरंभ होते ही माननीय सदस्य, श्री रजनीश कुमार ने राज्य कर्मचारी चयन आयोग के संबंध में अपने कार्यस्थगन प्रस्ताव की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट कराया, जिसके विरोध में सत्तापक्ष के माननीय सदस्य, श्री संजय सिंह एवं श्री रणवीर नंदन ने बोलना आरंभ किया। इसपर आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मुख्य सचेतक, श्री रजनीश कुमार से प्राप्त कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 104 (3) के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया है।

इस अवसर पर सत्तापक्ष के माननीय सदस्यगण बैनर दिखाते हुए नारे लगाने लगे एवं विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर जोर-जोर से बोलने लगे।

आसन का नियमन

सदन के व्यवस्थित नहीं रहने के बीच आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय नेता, विरोधी दल का भी आज भाषण होना है, आप अपनी बात पूरी तौर पर रखेंगे और आपको पूरा समय दिया जाएगा। प्रश्नकाल को चलने दीजिए, जनहित के मामले हैं। उसपर माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तर होगा।

2. **प्रश्नोत्तर काल**

अल्पसूचित प्रशन

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-12, 16 एवं 18 सदन पटल पर रखे गये।
अल्पसूचित प्रश्न संख्या-13, 14, 15, 17, 19 एवं 20 अनागत हुए।

तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या-19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 32 एवं 34 सदन पटल पर रखे गये।
तारांकित प्रश्न संख्या-20, 25, 26, 28, 29, 33 एवं 35 अनागत हुए।

(सदन के व्यवस्थित नहीं रहने की स्थिति में आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने सदन की कार्यवाही 1.00 अपराह्न तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी।)

(अंतराल)

अंतराल के बाद सदन की बैठक आरंभ होते ही माननीय सदस्य, श्री रजनीश कुमार ने पुन: कार्यस्थगन का मामला उठाना चाहा, जिसपर सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों ने जोर-जोर से बोलना आरंभ किया। तत्पश्चात् विपक्ष एवं सत्तापक्ष के माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर जोर-जोर से आरोप-प्रत्यारोप लगाने लगे।

3. **परिनियत कार्य**

माननीय मंत्री, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा राज्य सूचना आयोग के वित्तीय वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन की मेज पर रखा गया।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण, माननीय नेता, प्रतिपक्ष, श्री सुशील कुमार मोदी को छोड़कर सदन वेश्म में चले आये तथा जोर-जोर से नारेबाजी करने लगे। प्रत्युत्तर में सत्तापक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थानों से बोलते रहे।)

4. **ध्यानाकर्षण**

1. माननीय सदस्य, सर्वश्री संजीव कुमार सिंह, दिलीप कुमार चौधरी एवं केदारनाथ पाण्डेय द्वारा अनुदानित माध्यमिक, उच्च एवं डिग्री महाविद्यालयों को देय अनुदान की राशि की विमुक्ति एवं समान वेतन के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री श्रवण कुमार ने अनुरोध किया कि होली के बाद इसे रखा जाय।

2. माननीय सदस्य, श्री दिलीप कुमार चौधरी द्वारा नवसृजित अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र, धबौली (पतरघाट) सहरसा के भवन निर्माण हेतु लंबित स्वीकृत्यादेश के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री तेज प्रताप यादव ने वक्तव्य दिया।

3. माननीय सदस्य, श्री गुलाम रसूल द्वारा हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिन के अवसर पर मिशनरी एवं निजी विद्यालयों को खोले जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

(सदन पटल पर उत्तर नहीं रखा गया।)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संबंध में आसन का नियमन

आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि जिन ध्यानाकर्षणों के उत्तर तैयार हैं, उनके उत्तर संबंधित माननीय मंत्री सदन पटल पर रख दें।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन वेश्म से नारेबाजी करते रहे।)

4. माननीय सदस्य, श्री सलमान रागीब द्वारा पटना जिले के लाल बहादुर शास्त्री नगर स्थित तीन मंजिले अनुसचिवीय आवासों के लिए तीन-तीन गैरेज बनाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने सदन पटल पर अपना वक्तव्य रखा ।

5. माननीय सदस्य, सर्वश्री शिव प्रसन्नद यादव, रामचन्द्र भारती एवं राम लषण राम रमण द्वारा बिहार विधान मंडल/पूर्व सदस्यों के इलाज में खर्च की गयी राशि की प्रतिपूर्ति में व्याप्त जटिलता के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री तेज प्रताप यादव ने सदन पटल पर अपना वक्तव्य रखा।

(सदन के व्यवस्थित नहीं रहने की स्थिति में आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने सदन की कार्यवाही 2.30 अपराह्न तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी।)

(अंतराल)

5. **महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर**

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद पर निम्नांकित माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए –

1. श्री मंगल पाण्डेय
2. डा. रामवचन राय
3. श्री सुबोध कुमार
4. श्री गुलाम रसूल
5. श्री सतीश कुमार

(अंतराल)

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर

(आसन द्वारा सरकार का वक्तव्य दिये जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को अनुरोध किये जाते ही विरोधी दल के सभी माननीय सदस्यगण सदन से उठकर बाहर चले गये।)

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद के उपरांत सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार ने वक्तव्य दिया।

6. सदन का समय बढ़ाया जाना

माननीय मुख्यमंत्री के वक्तव्य के बीच ही माननीय मुख्य सचेतक, सत्तारूढ़ दल, श्री संजय कुमार सिंह के प्रस्ताव पर कि सरकार का उत्तर होने तक सदन का समय बढ़ाया जाय, सदन की सहमति से समय बढ़ाया गया।

7. आसन की घोषणा

माननीय उप सभापति महोदय ने यह घोषणा करने की कृपा की कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय सदस्य, श्री नीरज कुमार द्वारा दिनांक 23.2.2017 को धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया तथा माननीय सदस्य, श्री दिलीप कुमार चौधरी ने धन्यवाद प्रस्ताव का अनुमोदन किया। उक्त प्रस्ताव पर दिनांक 23.2.2017 के 4.00 अपराह्न तक निम्नलिखित माननननीय सदस्यों ने संशोधन की सूचना दी -

1. श्री विनोद नारायण झा (संशोधन सदन द्वारा अस्वीकृत)
2. श्री केदारनाथ पाण्डेय (संशोधन वापस)
3. श्री मंगल पाण्डेय (संशोधन सदन द्वारा अस्वीकृत)
4. श्री सूरज नन्दन प्रसाद (संशोधन पेश नहीं किया गया)
5. श्री लाल बाबू प्रसाद (संशोधन सदन द्वारा अस्वीकृत)
6. श्री रजनीश कुमार (संशोधन सदन द्वारा अस्वीकृत)

8. आसन द्वारा कृतज्ञता व्यक्त किया जाना

आसन से माननीय सभापति महोदय ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि 'राज्यपाल महोदय ने दिनांक 23.2.2017 को विधान मंडल के संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण करने की जो कृपा की है, उसके लिए परिषद् के सदस्य उनके प्रति कृतज्ञ हैं।'

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय सदस्य, श्री नीरज कुमार द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इसकी विधिवत सूचना मेरे द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय को दे दी जाएगी।

9. निवेदन

निवेदन के माध्यम से निम्नांकित माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया-

1. डा. रामवचन राय
2. श्री केदारनाथ पाण्डेय
3. श्री सतीश कुमार
4. प्रो. संजय कुमार सिंह
5. प्रो. नवल किशोर यादव

6. डा. उपेन्द्र प्रसाद
7. श्री राधाचरण साह
8. श्री रामचन्द्र भारती
9. श्री लालबाबू प्रसाद

माननीय उप सभापति महोदय ने सदन की अनुमति से यह निदेश देने की कृपा की कि प्राप्त सभी निवेदन ' निवेदन समिति' के विचारार्थ सुपुर्द किए जाएं।

तत्पश्चात् परिषद् की बैठक बुधवार, दिनांक 1.3.2017 को 12.00 मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

28/2/2017

(सुभीम शर्मा)
मुख्य प्रतिवेदक
बिहार विधान परिषद्

ज्ञापांक- 264 (3) / वि.प. पटना, दिनांक 28.2.2017

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण/ महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/ माननीय महाधिवक्ता, बिहार/ माननीय लोकायुक्त, बिहार/ बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष/ सभी राज्यों के विधानमंडलों के सचिव/ लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली/ विधि मंत्रालय, नई दिल्ली/ पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/ बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, जनसंपर्क एवं सूचना विभाग, बिहार/ अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमोद कुमार

(प्रमोद कुमार) 28-2-2017
वरीय प्रतिवेदक
बिहार विधान परिषद्